

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषित,

1. डा0 अनिता कुमारी, सहायक प्राध्यापक, फिजियोलॉजी विभाग
 2. डा0 अमित कुमार, सह-प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी विभाग
 3. डा0 रजत मिश्रा, सहायक प्राध्यापक, फार्माकोलॉजी विभाग
 4. डा0 राजीव रंजन प्रसाद, सहायक प्राध्यापक, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
 5. डा0 विजय कुमार प्रसाद, प्राध्यापक, एफ0एम0टी0 विभाग,
 6. डा0 कौशल किशोर, सह-प्राध्यापक, एफ0एम0टी0 विभाग
 7. डा0 प्रतिमा, सहायक प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग
 8. डा0 वशीमा आरसी, सहायक प्राध्यापक, स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग
 9. डा0 कुमार पुष्पांशु, सह-प्राध्यापक, दंत विभाग
- श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक-24/01/2020

विषय :- भारतीय चिकित्सा परिषद् के दिनांक-30.12.2019 को निरीक्षण के क्रम में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के दिनांक-30.12.2019 को निरीक्षण के क्रम में आप अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहे। आपका यह कृत्य संस्थानहित एवं राज्यहित के प्रतिकूल है एवं आपकी कर्तव्यहीनता, गंभीर अनुशासनहीनता एवं कदाचार का द्योतक है।

अतः पत्र प्राप्ति के 07(सात) दिनों के अंदर आप स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं उक्त कृत्य के कारण आपकी संविदा समाप्त कर दी जाए। पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर यदि कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-17/आरोप-01/2020 - 110 (17)/स्वा०, पटना, दिनांक-24/01/2020

प्रतिलिपि :- प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनाार्थ प्रेषित।

प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर निदेशित हैं कि अनुपस्थित चिकित्सक शिक्षकों को आवश्यक रूप से पत्र का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन 02 दिनों के अंदर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:- 137/20

दिनांक:- 24/11/2020

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित चिकित्सको/शिक्षकों को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में, आप अपना स्पष्टिकरण दो दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।
2. कॉलेज वेबसाईट ।


24/11/2020

प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर